

संचालनात्मक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-५ पर्यावरण परिसर अरेठा कालोनी हरीबांज युलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / १४९५ / वि.यो.450 / नगरानि / 2018

भोपाल, दिनांक १८/३/ 2018

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26.03.2018 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.
2. जिला कलेक्टर, राजगढ़, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राजगढ़, म.प्र.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हो, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, राजगढ़ में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल